अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

345/18/223 किशन बनाम ज्याना

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2018/03345 R-1 श्री अनिल सेठी श्री जी.एल. रावत के.के. जोशी	

22/8/19

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 हेतु पेश हुई । उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने अपीलमीमों/प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 के पूर्वज गोविन्दा द्वारा राजस्व वाद वास्ते उद्‌घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का अपीलांट के पिता व पति घीस्या पुत्र पांचू व राज0 सरकार के पेश किया था जिसमें कथन किया कि ग्राम कचनारिया निवासी पांचू के कोई संतान नहीं हुई जिसने वाद प्रस्तुति दिनांक 9.8.1984 के करीब 40 वर्ष पूर्व जाति रस्मो रिवाज के अनुसार गोविन्दा को अपना दत्तक पुत्र बनाया था तब से गोविन्दा श्री पांचू के साथ निवास करने लग गया था । पांचू की खातेदारी की आराजियात खसरा नंबर 69, 198, 348, 249 लगायत 257, 528, 686 लगायत 690, 713, 768, 867 व 869 कुल किता 23 कुल रकबा 35–3–00 बीघा तथा खसरा नंबर 366 रकबा 8–4–00 बीघा ग्राम कचनारिया में अवस्थित है जिस पर वर्तमान में वादी गोविन्दा एवं पांचू बराबर–बराबर शामिल में काश्त करते आ रहे है । वादी गोविन्दा को दत्तक पुत्र रखने के उपरांत पांचू के एक लड़का घीस्या पैदा हुआ । तत्पश्चात् खातेदार गोविन्दा का स्वर्गवास हो गया तब से वादी एवं घीस्या बहैसियत सह खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन पांचू का स्वर्गवास होने के बाद वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 घीस्या के नाम तन्हा दर्ज हो गई जिससे दिनांक 1.8.1984 को घीस्या द्वारा वादी को बेदखल करने का प्रयास किया गया जिससे वादकारण उत्पन्न हुआ । अतः वाद स्वीकार वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित कर विवादित आराजियात का बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने राजीनामा अनुसार दिनांक 4.6.1985 को वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर तहसीलदार को पक्षकारान की मौजूदगी में फेटबंदी कर पालना रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील मय धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र के पेश की है ।

अपीलांट ने अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में उल्लेख किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.1985 की पालना में न तो अंतिम डिक्री पारित की गई है न ही राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0/वादी गोविन्दा का ना ही दर्ज किया गया है । अपीलांट के पिता पांचू का स्वर्गवास हो गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में अपीलांट पक्षकार नहीं थे तथा न ही उनके पिता पांचू के विरूद्ध अधी0न्याया0 में रेस्पो0 द्वारा वाद प्रस्तुत करने एवं दिनांक 4.6.1985 को वादी डिक्री होने की जानकारी अपीलांट को थी । अपीलांट का अधी0न्याया0 के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.10.2018 को तब हुई जब वादी गोविन्दा के वारिसान रेस्पो0 द्वारना भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास गया एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.1985 की फोटो प्रति किशन पुत्र घीस्या को दिखाई गई । तत्पश्चात् अपीलांट ने दूदू ज़ाकर अभिभाषक से संपर्क कर प्रकरण के संबंध में जानकारी कर अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 5.11.

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प दूदू

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री ... श्री ...	

2018 को नकलें प्राप्त हुई । तत्पश्चात् अभिभाषक से कानूनी राय लेकर आवश्यक खर्चे की व्यवस्था कर दिनांक 14.11.2018 को अजमेर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । बहस में निवेदन किया कि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थे तथा न ही उनके पिता के विरूद्ध चल रहे मुकदमें की कोई जानकारी थी जिससे उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नही हो सकी थी । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे तथा प्रकरण का गुणावगुण निर्णित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट/प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2000 पेज 351, आर0बी0जे0 2019 पेज 436 (बी) सुप्रीम कोर्ट, ए0आई0आर0 2001 सुप्रीम कोटर्ठ पेज 2582, आर0आर0डी0 1998 पेज 319 हाई कोर्ट, आर0आर0टी0 2005 (1) पेज 588, आर0आर0डी0 19844 पेज 339, 686, आर0आर0डी0 1995 पेज 448, आर0बी0जे0 2008 पेज 83, आर0आर0डी0 1986 पेज 295–बी के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का लिखित जवाब पेश कर बहस में कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.1985 को पारित कर दिनांक 19.6.1985 एवं 24.7.2018 को तहसीलदार को कुरेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया था जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.6.1985 को कुरेजात रिपोर्ट बनाकर अधी0न्याया0 को भिजवा दी थी । उक्त कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर अधी0न्याया0 को वाद में अंतिम डिक्री जारी करना चाहिये था । अंतिम डिक्री पारित करने हेतु पक्षकारान अथवा उनके अधिवक्ता को अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी । तहसीलदार द्वारा कुरेजात रिपोर्ट दोनों पक्षकार की मौजूदगी में तैयार की गई थी जिससे अपीलांट का यह कथन कि अधी0न्याया0 के निर्णय की जानकारी उन्हें नहीं थी किया गया कथन असत्य एवं निराधार है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 के पिता गोविन्दा की मृत्यु होने पर गोविन्दा के उत्तराधिकारियों ने अधी0न्याया0 में दिनाक 25.2.2018 को आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया था, उक्त कार्यवाही में अपीलांट एवं उसके परिवारजनप न्यायालय में उपस्थित थे । इसी प्रकार अपीलांट घीस्या की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी किशनलाल, लालाराम, मंगलाराम व गुलाबदेवी ने भी प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का पेश किया था, इजराय के समय अपीलांट व रेस्पो0 के उत्तराधिकारी अधी0न्याया0 में उपस्थित थे एवं इजराय की कार्यवाही में भाग लिया था । इसलिये अपीलांट का यह कथन कि दिनांक 30.10.2018 को गोविन्दा के वाररिसान विवादित भूमि पर आये एवं अतिक्रमण का प्रयास किया तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रति दिखाई तब अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई किया गया कथन गलत एवं झूंठा है । बहस में आगे कथन किया कि पक्षकारान के मध्य अन्य मुकदमें भी विचाराधीन है जिसका उनवान गोविन्दा बनाम घीस्या है उसमें भी पक्षकार उपस्थित होते रहे है एवं राजीनामा पेश किया गया है। अपीलांट को अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी थी इसके

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प दूदू

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री	

बावजूद अपीलांट द्वारा जानबूझकर करीब 23 वर्षो की भारी मियाद बाहर यह अपील पेश की गई है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे भी उचित एवं संतोषप्रद नहीं है । अपीलांट को दिन–प्रतिदिन के विलंब का उचित एवं संतोषप्रद कारण बताना आवश्यक है किन्तु अपीलांट ने विलंब के संबंध में कोई संतोषप्रद कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज कर मूल अपील को मियाद बाहर होने से खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2017 (24) पेज 43 से 45, पेज 96 से 98, पेज 122 से 124 एवं 536 से 538 तथा आर0बी0जे0 2013 (20) पेज 253 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रार्थी ने अधी0न्याया0 सहायक जिलाधीश, सांभरलेक के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.1985 के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील दिनांक 15.11.2018 को पेशी की है । अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.1985 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.10.2018 को होना बताकर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का कथन किया है । इसके विपरीत विद्वान वकील रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का लिखित जवाब पेश कर कथन किया है कि अपीलांट/प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.1985 की जानकारी दिनांक 30.10.2018 को होना बताया है जो गलत एवं असत्य कथन है । अपीलांट ने लगभग 33 वर्षो के भारी विलंब के उपरांत हाजा न्यायालय के समक्ष यह अपील पेश की है तथा विलंब के जो कारण अंकित किये है वे ठोस एवं उचित कारण नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किया जाकर अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा वादी गोविन्दा एवं प्रतिवादी घीस्या के मध्य राजीनामा दिनांक 27.11.1984 के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की है । यानि घीस्या को राजीनामे के आधार पर पारित डिक्री दिनांक 4.6.1985 की जानकारी रही है । इसके पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.6.1985 की पालना में कुरेजात रिपोर्ट तलब करवाई गई । इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि तहसीलदार द्वारा कुरेजात रिपोर्ट बनाते समय अपीलांट के पिता/पति घीस्या मौजूद नहीं हो अथवा उनकी अनुपस्थिति में कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई हो । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 के पिता गोविन्दा की मृत्यु होने पर गोविन्दा के उत्तराधिकारियों ने अधी0न्याया0 में दिनांक 25.2.2018 को आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया था एवं घीसा की मृत्यु होने पर घीस्या के वारिसान किशनलाल, लालाराम, मंगलाराम व गुलाबदेवी ने आदेश नियम 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया था । तदोपरांत अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन इजराय की कार्यवाही में भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प बूंदी

55
345/18/223

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

किशन बनाम उधाना

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नंबर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2018/00345	
	श्री अशोक सिंह बी.एम. राठौड़	

लगातार

भाग लेते रहे है । इस कारण यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांटस को अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 4.6.1985 की जानकारी नही हो । अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित करना कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिकी दिनांक 4.6.1985 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.10.2018 को रेस्पो0 द्वारा भूमि पर जबरन अतिकमण का प्रयास करने पर हुई है । अपीलांटस का उक्त कथन विलंब क्षम्य किये जाने के संदर्भ में उचित, सद्भाविक कारण नहीं प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस को अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिकी की प्रारंभ से जानकारी रही है इसके बावजूद निर्णय व ड्रिकी की जानकारी होते हुए भी समयावधि में अपील प्रस्तुत न करना बिना सद्भाविक एवं उचित एवं पर्याप्त कारण के क्षम्य नहीं किया जा सकता है । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है । इसके विपरीत रेस्पो0 द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये गये है वे प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है ।

उपरोक्त विवेचन के कम में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज योग्य पाया जाता है ।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किया जाता है तथा इसी मियाद बाहर पेश किये जाने से इसी स्तर पर मियाद बिन्दु पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/8/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

22/8/19
(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर